**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 363 सन 2018

अनवान :–

1. रायसिह 2 सुरेन्द्र पि0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

**वादीगण**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पि0मु0 मानाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

4. बन्टी पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. रजनीश नाबालिग पुत्र रायसिह जरिये संरक्षिका माता सीता देवी पत्नि रायसिह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 14.08.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 18 जेएसएन के खाता संख्या 8/6 की कुल 7.8400हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा मानाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 8/6 के प0न0 333/401(10) के किला न0 7 ता 12 प्रत्येक 0.253हैक , 15/0.2140 ,19/0.1265 ,पश्चिम मिन 20 की 0.253हैक प0न0 332/401(11) के किला न0 9 ,12 ,19 प्रत्येक 0.253हैक कुल 2.8705हैक नहरी प0न0 0 मु0न0 56 के किला न0 8 मिन 0.037हैक गै0मु0 रास्ता भूमि वादी संख्या 1 रायसिह व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब व प0न0 333/401(10) के किला न0. 13/0.253 ,14/0.253 ,19/0.1265 ,मिन पूर्व कुल 0.6325हैक भूमि वादी संख्या 2 सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश के पास रहेगी तथा प0न0 332/401(11) के किला न0 6/0.2280 ,7 ,8/0.253प्रत्येक , 13 ,14 प्रत्येक 0.253हैक , 15/0.2280हैक , 16/0.2270 ,17, 18/प्रत्येक 0.253 कुल 2.201हैक नहरी प0न0 0 मु0न0 54 के किला न0 3/0.0750हैक गै0मु0 खाला प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— अखरे रूपाये पाच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Web Copy - Not Official